–: परिशिष्ट– :–

प्रश्न सं. [क्र. 6616]

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमाँक – 6616

(क) साउथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड जमुना–कोतमा क्षेत्र से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला अनूपपुर अंतर्गत एसईसीएल जमुना कोतमा क्षेत्र की आमाडांड़ खुली खदान परियोजना के लिए ग्राम आमाडांड़, निमहा एवं कुहका की अधिग्रहीत भूमि से प्रभावित भू स्वामियों को रोजगार देने एवं पूर्व में दिये रोजगारों की स्क्रूटनी किये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट याचिका क्रमांक–7968/09 कोमल केवट बनाम कोल इंडिया वगैरह एवं अन्य याचिकाओं में दिनांक 25.01.2018 को पारित आदेश के परिपालन में जिला स्तरीय पुनर्वास समिति के निर्णयानुसार सीआईएल नीति–2012 एवं एसईसीएल माडलटीज के तहत ग्राम आमाडांड़, निमहा एवं कुहका की घटते क्रम की अनुमोदित सूची में अपात्र पाये गये भू–स्वामियों /आश्रितों में से 58 भू–स्वामियों/आश्रितों को नियमानुसार सेवा से पृथक किया गया है। दिनांक 05.12.2020 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की समीक्षा बैठक में बिन्दु क्रमांक–04 में यह निर्णय लिया गया कि ''पिछली समीक्षा बैठक दिनांक 28.07.2020 के निर्णयानुसार एसईसीएल ने स्क्रूटनी उपरांत 58 स्वीकृत रोजगार के निरस्तीकरण की कार्यवाही की है। उसकी जांच हेतु एसईसीएल प्रबंधन, 15 दिसम्बर तक सभी निरस्त किए गये 58 स्वीकृत रोजगारों (सीआईएल नीति 2008 पैकेजडील के तहत) के निरस्तीकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही का विवरण, जिसमें जारी किए गये नोटिस की प्रतिलिपि, उनके द्वारा अन्य भूमि स्वामियों से ली गई सहमति का विवरण, भूमि का रकबा, अनुमोदित डीओएल लिस्ट इत्यादि के साथ एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिसकी जांच एक माह के अन्दर संयुक्त कलेक्टर, अनूपपुर द्वारा की जावेगी। इस समयावधि में रोजगार से हटाने की कार्यवाही एसईसीएल प्रबंधन द्वारा स्थगित रखी जाये।''

उक्त निर्णय के परिपालन में निर्धारित समयावधि के भीतर सभी वांछित दस्तावेज कलेक्टर अनूपपुर के कार्यालय में एसईसीएल प्रबंधन द्वारा जमा कर दिये गये है। कलेक्टर अनूपपुर द्वारा एसईसीएल से प्राप्त दस्तावेजों के जांच उपरांत अपात्र पाये गये भू–स्वामियों/आश्रितों में से 58 भू–स्वामियों /आश्रितों को सेवा से पृथक किया जाना विधि सम्यक पाया गया। अतः इस संबंध में पृथक से किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नही उठता।

(ख) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश दिनांक 25.01.2018 के परिपालन में सेवा से पृथक किए गये भू–स्वामियों /आश्रितों को पुनः सेवा में बहाल किया जाना प्रबंधन के लिए संभव नही है। इस विषय पर कलेक्टर अनूपपुर की उपस्थिति में प्रभावित भू–स्वामियों/आश्रितों से चर्चा हो चुकी जिसमें यह स्पष्ट हो चुका है कि यह कार्य माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के परिपालन में किया गया है।

(ग) एसईसीएल जमुना–कोतमा प्रबंधन से प्राप्त जानकारी अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.01.2018 के परिपालन में सेवा से पृथक किए गये भू–स्वामियों/आश्रितों को पुनः सेवा में बहाल किया जाना प्रबंधन के लिए संभव नही है। इस विषय पर कलेक्टर अनूपपुर की उपस्थिति में प्रभावित भू–स्वामियों/आश्रितों से चर्चा हो चुकी जिसमें यह स्पष्ट हो चुका है कि यह कार्य माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के परिपालन में किया गया है। अतः अनूपपुर कलेक्टर द्वारा इस विषय पर हस्तक्षेप करके इन्हें नौकरी पर रखे जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता।

———